न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र विमलचंद जी, जाति- जैन, निवासी- लक्ष्मी भवन, सदर बाजार, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 42/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री चन्द्रपाल सिंह कुम्पावत, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार

-: निर्णय :- **दिनांक 25 नवम्बर, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 44/2017 में पारित निर्णय दिनांक 26.2.2018 बाबत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का रामपुरा के खसरा संख्या 323 रकबा 0.0500 हेक्टेयर किस्म बंजड भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानते हुए मोके से बेदखल करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि व तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी, रामपुरा की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करने में विधि में अवैधता बरती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को नजर अं[illegible] किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया है [illegible] प्रश्नगत भूमि का अतिक्रमी नही है। उक्त भूमि श्री पुलित कुमार जरिये पूर्व [illegible]कारी श्रीमती आशादेवी व भावनादेवी के कब्जे में गत करी[illegible] से है। अ[illegible] न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के वि[illegible] अपीलार्थी को अतिक्रमी [illegible] में भूल की

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:46:51 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज दो पर

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

है। यह कि प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत, रामपुरा के कब्जे, स्वामित्व व आधिपत्य की आबादी भूमि थी और अपीलार्थी की पत्नी आशादेवी व भाभी भावनादेवी ने ग्राम पंचायत, रामपुरा से आबादी भूमि क्रय की थी। ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त किया जाकर कर आबादी भूमि का विक्रय किया था। ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 16.3.1984 के जरिये भूमि विक्रय किये जाने की पुष्टि की तथा उसकी पालना में पट्टा संख्या 8/84 व पट्टा संख्या 9/84 दिनांक 22.4.1984 को जारी किये एवं भूमि का कब्जा सुपर्द किया था। प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी ने अनाधिकृत कब्जा नही किया है, बल्कि ग्राम पंचायत, रामपुरा ने उक्त भूमि विक्रय कर कब्जा सुपर्द किया था। यह कि प्रश्नगत भूमि मुख्य मार्ग से लगती हुई है। विवादित स्थल पर आशादेवी व अब पुनित कुमार का तथा भावनादेवी का कब्जा प्रत्यर्थी के अधिकारियों व कर्मचारियों की पूर्ण जानकारी व मौजूदगी में 34 वर्षो से चला आ रहा है और गत करीब 17 वर्षो से चारदीवारी बनी हुई है। यदि उक्त भूमि प्रत्यर्थी सरकारी भूमि होना मानता था तो वह आशादेवी व भावनादेवी को निर्माण कार्य न करने देता। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व कोई जांच नही की है व विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही निर्णय पारित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया है कि हल्का पटवारी व प्रत्यर्थी ने अपने परिवाद की अंर्तवस्तु को स्वयं की साक्ष्य से साबित नही किया है व परिवाद का समर्थन स्वतंत्र साक्ष्य को प्रस्तुत कर नही करवाया है। हल्का पटवारी या प्रत्यर्थी ने कोई प्रलेख साक्ष्य विधि अनुसार सिद्ध नही किया है जो भूमि सरकारी होना व अपीलार्थी को अतिक्रमी होना सिद्ध करता हो। अभी तक यह तथ्य साबित नही हुआ है कि प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि है या बिलानाम भूमि है, तो अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि का अतिक्रमी कैसा माना जा सकता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त AIR 2015 Rajasthan 40, 2015(2)DNJ(Raj.) 593, AIR 2010 (NOC) 937 (MP) (Gwalior Bench) में अंकित तथ्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हुए व्यक्त किया कि अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे।। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, रामपुरा द्वार संवत 2074 में अपीलार्थी के विरुद्ध विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा व परकोटा निर्माण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, रामपुरा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम रामपुरा के खसरा संख्या 323 रकबा 0.0500 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree
Date: 2021.01.10 16:46:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं अपीलार्थी की ओर से लितिख जवाब अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने जिस भूमि पर कब्जा किया है, वह भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार आबादी भूमि नही होकर राजकीय बिलानाम भूमि है एवं अपीलार्थी ने राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

25/11/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:46:51 IST
Reason: SelfAttested